



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275717
CG-DL-E-24082026-275717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4490]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4490]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4673(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारियों के कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकारी बनाती है, भवन (चौड़ीकरण/चार लेन बनाना, आदि) अनुरक्षण के लिए उक्त अनुसूची के क्रमश कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित जिलों, तहसीलों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दीर्घकालिक सुधार से संबंधित आजमगढ़-दोहरीघाट खंड का प्रबंधन और संचालन उत्तर प्रदेश राज्य में अशरफपुर, जीयनपुर और एनएच-128 सी पर लाटघाट में 03 (तीन) ब्लैकस्पॉट की पहचान की गई है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में NH-128C पर अशरफपुर, जियानपुर और लाटघाट में MORTH द्वारा पहचाने गए 3 ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	एस एल ए ओ / सी आर ओ आजमगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH128C के कि.मी 0 से कि.मी 40.8 तक	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	सगरी	1 केशवपुर महमूद पट्टी 2 बगही दाड़

[फा. सं. NHAI/11015/2026-27/LA/3(a)/Notif/NHAI-PIU-Azamgarh]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4673(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorities the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to districts, tehsil and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for building (widening/four laning etc) maintenance. management and operation of the Azamgarh-Dohrighat Section related to Long Term Rectification of the MORTH Identified 03 (Three) Nos. of Blackspots at Ashrafpur, Jiyampur and at Latghat on NH-128C in the State of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on long term rectification of the MORTH identified 03 nos. of blackspots at Ashrafpur, Jiyampur and at Latghat on Nh-128C in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO / CRO Azamgarh	NH128C KM 0 TO KM 40.8	UTTAR PRADESH	AZAMGARH	Sagri	1 Keshopur Mahmood Patti 2 Baghidand

[F. No. NHAI/11015/2026-27/LA/3(a)/Notif/NHAI-PIU-Azamgarh]

SHAIKH AMINKHAN, Director